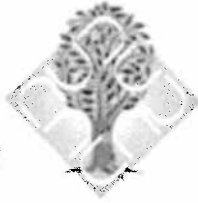


अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली



Ambedkar University Delhi

No. AUD/1-10 (89)/ 2015-16/ Monkey Handler/ 19569

17 September, 2015

To,

Subject: Notice inviting Tender / Quotation for Deployment of Monkey Handler at premises of Ambedkar University Delhi

Ambedkar University Delhi (AUD) invites sealed quotations from competent monkey handlers (hereinafter called the "agency") to deploy trained persons at its Kashmere Gate campus. The quotation is required to be submitted in a sealed cover addressed to the Registrar, Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 so as to reach us on or before 05-10-2015 up to 02.00 pm, duly superscribing the work i.e "Quotation for Deployment of Monkey Handler at premises of Ambedkar University Delhi" on top of the cover.

Last Date of submission of tender / quotation - 05-10-2015 at 02.00 PM
Date of Opening of tender / quotation - 05-10-2015 at 03.30 PM

Tender format can be downloaded from our website 'www.aud.ac.in'. Clarifications, if any, may be sought from the AUD Admin Division on Telephone No 23863655. Tenderers should read the tender document carefully as enclosed and comply strictly with the terms and conditions before sending their bids.

Deputy Registrar (Admin)

Copy forwarded for information to:-

- 1- Registrar, Ambedkar University Delhi
- 2- Controller of Finance, Ambedkar University Delhi

TERMS & CONDITIONS OF CONTRACT FOR SUBMISSION OF TENDER BID/ QUOTATION

1. The monkey handler shall be responsible to drive away the monkeys from the premises of Ambedkar University Delhi at Kashmere Gate campus including floors/terrace etc. While performing such duties, instructions contained in the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and other relevant acts will be strictly followed.
2. The services of monkey handler will be provided on all seven days in a week. The agency is advised to see the area before submitting its bid.
3. The quotation shall be given exclusively for one monkey handler. However, the agency should be capable of deploying at least three monkey handlers on any given day.
4. Any individual/ Firm which has been blacklisted by AUD or any other Central/ State Government Organization/ PSU in the past three financial years, will not be eligible to participate in the tender process.
5. Similarly, an Individual/ Firm will have to furnish an undertaking that its contract has not been prematurely terminated due to unsatisfactory performance/ non performance by AUD or any Government/ PSU organization in the past three financial years, as per Appendix B of the tender document.
6. The firm shall not assign or sublet the work or any part of it to any other person or party.
7. The payment shall be made in the following month on submission of the bill by the agency.
8. In case of absence of monkey handler, deduction at pro-rata basis will be made from the month's bill.
9. The agency will arrange for food, medical aid in case there is any physical injury to the monkey handler during the period. No additional expenses of any kind shall be borne by the university.
10. The monkey handler shall be equipped with a whistle and a stick during the duty.
11. The Assistant Registrar (Estate) will operate the contract on behalf of AUD. Monkey handler's mobile number shall be available with the Estate Division of the AUD.

12. Any staff member may contact the monkey handler directly over phone if his services are required at any point of time. The monkey handler shall respond to the call immediately and assist the concerned staff member without delay.
13. The agency shall indemnify the University against all damages/ charges and expenses for which the Government may be held liable or pay on account of the negligence of the contractor or his servants or any person under his control whether in respect of accident, injury to the person or damages to the property of any member of the public or any person or in executing the work or otherwise and against all claims and demands thereof. The AUD shall not be responsible financially or otherwise for any injury to the monkey handler or person deployed by the agency during the course of performing duties.
14. In case of breach of any of the terms and conditions mentioned in the tender, the Competent Authority will have the right to cancel the work order without assigning any reason thereof and nothing will be payable by AUD in that event.
15. Late receipt of bids (i.e. after due date and time) will not be considered. Authorized representatives of the tenderers may participate in the tender opening committee meeting, in case they wish to do so.
16. Rates must be quoted in figures & words in INR with all levies and taxes. The rates quoted will be valid for one year.
17. **Earnest Money Deposit (EMD)** of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) in the form of crossed demand draft/ pay order drawn in favour of **Registrar, Ambedkar University Delhi** shall be enclosed with the bid. The EMD of unsuccessful tenderer will be returned after completion of the tender process. Tenders received without prescribed earnest money shall not be considered.
18. Each page of the tender document should be **signed by the tenderer**.
19. **Details of experience** if any, in the form of work order/ certificate of performance should be enclosed with the tender document.
20. The AUD will open the bids, in the presence of bidder or his authorized representative who choose to attend, at the time and date specified in the tender notice. The bidders or his authorized representatives who are present shall sign the tender opening document evidencing their attendance.

21. AUD reserves the right of accepting the tender in whole lot or distinct part of it or the supply can be distributed between more than one bidders.
22. The acceptance of the tender rests with AUD. The university is not bound to accept the lowest tender bid and reserves the right to accept or reject any or all the Bids without assigning any reasons thereof. AUD also reserves the right to modify and / or relax, any terms & conditions of this tender document to safeguard its interest.
23. AUD reserves the right to cancel the tender process without assigning any reason whatsoever, at any stage.
24. The bid would be valid for 90 days from the date of opening of the tender.
25. The quoted rate shall include cost of material, labour, transport, taxes & duties, royalties, octroi and other local taxes or levies etc, if any.
26. The contractor shall be required to deposit a sum equivalent to 5 percent of the total work order at the time of award of the contract as security deposit in the form of demand draft or provide a bank guarantee for the said amount from a scheduled bank, pledged in favour of **Registrar, Ambedkar University Delhi**. No interest shall accrue on this amount. The Security amount shall be re-payable after two months of the expiry/ termination of the contract after deduction of penalty/ other dues, if any. The EMD of the successful bidder will be refunded after signing of the agreement and after deposit of security amount.
27. The period of the contract shall be for one year. However, it may be extended for one more year at the discretion of the competent authority.
28. The AUD may make any variation of the quantity & quality or any part thereof that may in its opinion be necessary for that purpose as mentioned below :-
- a. Increase/ decrease/ change the quality or kind of the number of item/ persons/ service, as mentioned.
 - b. Omit any such item/ persons/ service if found necessary after issue of Work Order, if required.
 - c. Additional requirement or any item/ persons/ service required may be supplied by the bidder.

29. Penalties: In the event of the service provider failing, declining, neglecting or delaying the work or in the event of any damage occurring or being caused by him/ her, AUD shall without prejudice to any other party, exercise the remedy available to it under the law in force in the Delhi state:

- (a) Terminate the work order at the risk and cost of the bidder whose quotation has been accepted and
- (b) Recover the amount of loss caused by the damage, failure or default (including the consequential damage).
- (c) Impose a penalty up to 10% of the total value of the order and confiscate the security deposit.
- (d) Blacklist the Agency/ Firm.

30. All disputes arising out of this contract shall be referred to the sole arbitration of the Vice Chancellor, Ambedkar University Delhi, or an arbitrator nominated by him. His decision will be final and binding on both the parties. The venue of arbitration shall be New Delhi (India).

Appendix – A

Ambedkar University Delhi

PRICE BID

Name of work: Providing services of monkey handler at Ambedkar University Delhi.

S. No.	Description of Item	Accounting Unit	Person	Rate per person (in figures and words)
1	Providing services of monkey handler to keep away monkeys from the premises of Ambedkar University Delhi	Nos.	01	Rs.
	Total Quoted Amount (Inclusive of All taxes) in Digits and words			Rs.

1. I have enclosed Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only) in the form of crossed demand draft/ pay order number _____ dated _____ drawn in favour of **Registrar, Ambedkar University Delhi.**

2. I have signed each page of the tender document.

3. I have attached work orders/ certificates of performance with the tender document

Place:

Signature of the Tenderer

Date: _ / _ / ____

UNDERTAKING

It is certified that;

- (i) I/ my firm/ agency/ company has not been **black listed** by any of the Departments/ Autonomous Institutions/ Universities/ Public Sector Undertakings of the Government of India or Government of NCT of Delhi or any other State Government or reputed private institutions in the preceding three financial years and no criminal case is pending against the said firm/ agency as on _____.
- (ii) Services of my/ our Firm have never been prematurely terminated due to unsatisfactory performance/ non performance by any Government/ PSU organization in the preceding three financial years.

Signature of the Tenderer _____

Name of the Signatory _____

Name of the Firm/agency _____

Seal of the Firm/Agency _____

Place:

Date: _____

**Agreement to be signed for deployment of Monkey Handler at
premises of Ambedkar University Delhi**

<Stamp paper of requisite amount>

Service Agreement for Monkey Handler

This agreement is made on _____ 2015 between the Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 hereinafter referred to as "AUD",

and

M/s _____, a Company/ Firm with office at

hereinafter referred to as "Contractor",

and both the parties as mentioned above set forth and agree to abide by the following terms of this agreement.

WHEREAS the contractor has tendered for providing total solution for Deployment of Monkey Handler to the AUD as per the terms and conditions mentioned in the tender document. Whereas such tender has been accepted and the contractor has deposited with the Tendering Authority the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) as security for the fulfillment of this Agreement.

NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto as follows:

1. The contractor has accepted the contract on the terms and conditions set out in the tender notice no. _____ dated _____, which shall hold good during period of this agreement.
2. Upon breach by the contractor of any of the conditions of the agreement, the Tendering Authority may issue a notice in writing, determine and put an end to this agreement without prejudice to the right of the AUD to claim damages for antecedent breaches thereof on the part of the contractor and also to reasonable compensation for the loss occasioned by the failure of the contractor to fulfill the agreement as certified in writing by the Tendering Authority which certificate shall be conclusive evidence of the amount of such compensation payable by the contractor to the AUD.
3. Upon the determination of this agreement whether by effluxion of time or otherwise, the said deposit shall after the expiration of two months from the date of such determination be returned to the contractor but without interest and after deducting there from any sum due by the contractor to the Government under the terms and conditions of this agreement.

4. This agreement shall remain in force until the expiry of 12 months from the date of entering into the contract but the Tendering Authority may cancel the contract at any time upon giving one month's notice in writing without compensating the contractor.

5. The Tendering Authority may give notices in connection with the contract. In consideration of the payments to be made by the AUD to the contractor as hereinafter mentioned the contractor hereby covenants with the AUD to provide the Services and to remedy defects therein conformity in all respects with the provisions of the Contract.

6. The Tendering Authority hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the provision of the Services and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.

7. If subject to circumstances beyond control (Force Majeure) the contract fails to deliver the services in accordance with the conditions mentioned in the tender, the Tendering Authority shall be entitled to render services from else other organization after giving due notice to the Contractor on the amount and at the risk of the Contractor without canceling the contract in respect of the consignment not yet due for delivery, or to cancel the contract.

8. In the event of action to be taken, the contractor shall be liable for any losses, which the Tendering Authority, may sustain on that account. The recovery by way of penalty shall be made by deducting the amount from the bills be made good by a credit note within the stipulated period for the purpose.

IN WITNESS WHEREOF the parties have caused this Agreement to be executed by the hands of duly authorized representatives on the day, month and year first before written.

WITNESSES

Signed:

For and on behalf of

Ambedkar University Delhi

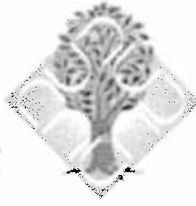
Authorised Signatory

For and on behalf of

M/s _____

Authorised Signatory

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली



Ambedkar University Delhi

AUD/1-10 (89)/2015-16/ बंदर भगानेवाला/19562-

तारीख : 17 सितंबर 2015

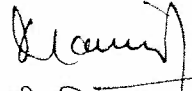
To,

विषय: अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये निविदा / कोटेशन आमंत्रण नोटिस

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) अपने कश्मीरी गेट परिसर में प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैनात करने के लिये (बाद में " एजेंसी" कहा जाता है) सक्षम बंदर संचालकों से मुहरबंद निविदा/ कोटेशन आमंत्रित करता है। उद्धरण विवरण विधिवत निविदा/ कोटेशन के रूप में रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006 को तारीख 05/10/2015 में 02.00 बजे से पहले एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। लिफाफे पर " अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये निविदा / कोटेशन " लिखा जाना चाहिए।

निविदा / कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - **05-10-2015 को 02.00 बजे दोपहर**
निविदा / कोटेशन के खुलने की तारीख - **05-10-2015 को 03.30 बजे दोपहर**

निविदा का प्रारूप हमारी वेबसाइट ' www.aud.ac.in ' से डाउनलोड किया जा सकता है। स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, एयूडी प्रशासन डिवीजन से टेलीफोन नं 23863655 पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को ध्यान से निविदा दस्तावेज पढ़ना चाहिए और अपनी बोली को भेजने से पहले नियम और शर्तों का सख्ती से पालन करना चाहिए।


डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन)

सूचना के लिये अग्रेषित कॉपी :-

- 1- रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
- 2- वित्त नियंत्रक, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

निविदा बोली/ कोटेशन प्रस्तुत करने के लिये नियम एवं अनुबंध की शर्तें

1. बंदर भगाने वाला कश्मीरी गेट परिसर में अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर से बंदरों को दूर भगाने के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसे कर्तव्यों का पालन करते समय पशु अधिनियम, 1960 और अन्य प्रासंगिक कृत्यों के प्रति क्रूरता की रोकथाम में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
2. बंदर भगाने वाले की सेवाओं को एक सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध कराया जाएगा। एजेंसी को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले क्षेत्र को देखने की सलाह है।
3. निविदा केवल एक बंदर भगाने वाले के लिये से दी जाएगी। हालांकि, एजेंसी किसी भी दिन कम से कम तीन बंदर भगाने वाले की तैनाती करने में सक्षम होना चाहिए।
4. व्यक्ति / फर्म/ एजेंसी जिसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एयूडी या किसी भी अन्य केन्द्रीय / राज्य सरकार संगठन / पीएसयू द्वारा काली सूची में डाला गया है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।
5. इसी तरह, व्यक्ति/ फर्म/ एजेंसी जिनका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एयूडी या किसी भी अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकार संगठन/ पीएसयू द्वारा अपने अनुबंध को समय से पहले असंतोषजनक प्रदर्शन/ गैर प्रदर्शन होने के कारण सेवा समाप्त की गई है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे। एजेंसी को निविदा दस्तावेज़ परिशिष्ट बी के अनुसार एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।
6. एजेंसी/ फर्म आवंटित काम के किसी भी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं देंगे।
7. एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
8. बंदर भगाने वाले के अनुपस्थिति की स्थिति में, महीने के बिल से कटौती की जाएगी।
9. इयूटी के दौरान यदि बंदर भगाने वाला घायल हो जाता है, तो भोजन, चिकित्सा सहायता की व्यवस्था एजेंसी को करना होगी। किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
10. बंदर भगाने वाले को इयूटी के दौरान एक सीटी और एक छड़ी दी जाएगी।
11. सहायक रजिस्ट्रार (संपदा) एयूडी की ओर से अनुबंध संचालित करेंगे। बंदर भगाने वाले का मोबाइल नंबर एयूडी के एस्टेट डिवीजन के पास उपलब्ध होगा।
12. किसी भी समय पर कोई भी स्टाफ सदस्य फोन पर सीधे बंदर भगाने वाले से संपर्क कर सकते हैं। बंदर भगाने वाला तुरंत कॉल का जवाब देगा, और देरी के बिना स्टाफ सदस्य की सहायता करेगा।

13. एजेंसी ऐसे सभी नुकसान / शुल्क और खर्चों के लिये एयूडी को क्षतिपूर्ति करेगा जिसके लिये विश्वविद्यालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठेकेदार स्वयं या अपने सेवकों की लापरवाही के कारण किसी भी व्यक्ति को चोट या उसके द्वारा किए किसी भी नुकसान की स्थिति में दावों और मांगों का भुगतान करेगा। एयूडी बंदर भगाने वाले की इयूटी के दौरान लगी किसी भी चोट के लिये आर्थिक रूप से या अन्य रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।
14. निविदा में उल्लेख नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए काम के आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस स्थिति में एयूडी द्वारा कुछ भी नहीं देय होगा।
15. बोलियों के विलम्ब से प्राप्त होने (यानी नियत तारीख और समय के बाद) की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोलने की समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं।
16. दरें सभी आवश्यक लागू करों के साथ भारतीय रुपयों में आंकड़े और शब्दों में उद्धृत की जाना चाहिए। उद्धृत दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
17. बयाना जमा राशि (ईएमडी) रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार केवल) **रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली** के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में बोली के साथ संलग्न की जाएगी। असफल निविदाकार की ईएमडी निविदा प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वापस की जाएगी। निर्धारित बयाना के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिए।
19. अनुभव का विवरण यदि कोई हो, कार्य आदेश/ कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र के रूप में निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
20. एयूडी बोलियों/ कोटेशन को निविदा नोटिस में निर्दिष्ट समय और तारीख में, बोली लगाने वाले या भाग लेने के लिये अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोलेगा। बोली लगाने वाले या भाग लेने के लिये अधिकृत प्रतिनिधि, अपनी उपस्थिति साक्ष्य के रूप में निविदा खोलने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे।
21. एयूडी निविदा को पूरी या केवल एक भाग में स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। काम को अलग अलग हिस्से में एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच वितरित किया जा सकता है।

22. एयूडी निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय न्यूनतम निविदा बोली स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एयूडी भी अपने हितों की रक्षा के लिये, इस निविदा दस्तावेज के किसी भी नियम व शर्तों को संशोधित करने और/ या छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
23. एयूडी किसी भी स्तर पर कोई कारण बताए बिना निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
24. बोली/ कोटेशन निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिये मान्य होगी।
25. उद्धृत दर में सामग्री, श्रम, परिवहन, कर, शुल्क, रॉयल्टी, चुंगी, स्थानीय कर या लेवी की लागत, आदि अन्य सब कुछ शामिल होगा।
26. अनुबंध के आवंटन होने पर एजेंसी सुरक्षा जमा के रूप में कुल कार्य आदेश के 5 प्रतिशत के बराबर राशि एक अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के पक्ष में जमा करेगी। इस राशि पर कोई ब्याज एकत्रित नहीं होगा। सुरक्षा राशि अनुबंध की समाप्ति के दो माह बाद दंड / अन्य देय राशि की कटौती के बाद, यदि कोई हो, देय होगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद और सुरक्षा राशि के जमा होने के बाद वापस कर दी जाएगी।
27. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी। हालांकि, इसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर एक और साल के लिये बढ़ाया जा सकता है।
28. एयूडी, यदि उस उद्देश्य के लिये आवश्यक हो जाता है, अपनी मात्रा और गुणवत्ता में नीचे उल्लेख के रूप में किसी भी समय बदलाव कर सकता है: -
- (a) मंद/ व्यक्तियों/ सेवा की संख्या और/ या गुणवत्ता के रूप में वृद्धि/ कमी।
 - (b) कार्य आदेश जारी करने के बाद यदि आवश्यक हो, किसी भी तरह के आइटम/ व्यक्तियों/ सेवा में वृद्धि/ कमी।
 - (c) किसी भी आइटम/ व्यक्तियों/ सेवा की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर एजेंसी द्वारा आपूर्ति।
29. **दंड:** सेवा प्रदाता द्वारा कार्य न करने की स्थिति में, उपेक्षा, गुणवत्ता में गिरावट, काम में देरी, उसके द्वारा किए किसी भी नुकसान की स्थिति में, एयूडी किसी भी पार्टी के खिलाफ बिना किसी पूर्वग्रह के तहत दिल्ली राज्य में लागू कानून का प्रयोग करेगा:

- (a) एजेंसी, जिसका उद्धरण स्वीकार किया गया है, के जोखिम और लागत पर कार्य आदेश बर्खास्त।
- (b) क्षति, विफलता (परिणामी क्षति सहित) या डिफॉल्ट की वजह से नुकसान की राशि की वसूली।
- (c) कार्य आदेश के कुल मूल्य के 10% तक का दंड और सुरक्षा जमा राशि जब्त।
- (d) एजेंसी / फर्म को काला सूचीबद्ध करना।

30. इस अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को कुलपति, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, या उसके द्वारा नामित एक मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता करने के लिये भेजा जाएगा। उनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का आयोजन नई दिल्ली (भारत) में किया जाएगा।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

मूल्य बोली

कार्य का नाम : अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में बंदर भगाने वाले की सेवाएं
प्रदान करना।

क्र.स	मद का विवरण	लेखा यूनिट	व्यक्ति	(आंकड़े और शब्दों में) प्रति व्यक्ति की दर
1	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर से बंदरों को दूर रखने के लिये बंदर भगाने वाले की सेवाएं प्रदान करना	संख्या	01	Rs.
	अंक और शब्दों में (सभी करों सहित) कुल उद्धृत राशि			Rs.

1. मैं , बयाना जमा राशि (ईएमडी) रुपये 5000 / - (रुपये पांच हजार केवल) रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर संख्या _____ दिनांकित _____ बोली के साथ संलग्न कर रहा हूँ।
2. मैंने निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. मैं अनुभव का विवरण कार्य आदेश/ कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र के रूप में निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

जगह:

निविदाकार के हस्ताक्षर

तारीख: / / _____

उपक्रम

प्रमाणित किया जाता है:

1. भारत या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या किसी अन्य राज्य सरकार के संस्थानों या प्रतिष्ठित निजी संस्थानों, सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विभागों / स्वायत्त संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी मुझे / मेरी फर्म / एजेंसी / कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कभी भी काला सूचीबद्ध नहीं किया है और कोई आपराधिक मामला आज _____ तारीख तक मेरी फर्म / एजेंसी के खिलाफ लंबित नहीं है।
2. मेरे / हमारी कंपनी की सेवाओं को समय से पहले किसी भी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन / गैर प्रदर्शन होने के कारण पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कभी समाप्त नहीं किया गया है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म / एजेंसी का नाम

फर्म / एजेंसी की मुहर

जगह:

तारीख: _____

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये हस्ताक्षर किए जाने का समझौता

<अपेक्षित राशि के स्टाम्प पेपर पर>

बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये सेवा समझौता

इस समझौते को अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, बाद में जो "एयूडी" के रूप में जाना जाता है,

और

M/s _____, एक कंपनी / फर्म जिसका कार्यालय _____ के पते पर है,

बाद में जो "ठेकेदार" के रूप में जाना जाता है,

के बीच _____ 2015 को क्रियान्वित किया जाता है

और दोनों उपर्युक्त उल्लिखित पार्टियों के निम्न शर्तों का पालन करने के लिये सहमत दलों के रूप में यह अनुबंध।

ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियम और शर्तों के अनुसार एयूडी में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये पूरा समाधान प्रदान करने के लिये निविदा प्रस्तुत की है। निविदा स्वीकार की गई है और ठेकेदार ने इस समझौते की पूर्ति के लिये सुरक्षा के रूप में सक्षम प्राधिकारी के पास रुपये _____ (रुपए _____ केवल) की राशि जमा की है।

अब एतद्वारा पार्टियों के बीच इस के साथ यह सहमति हुई है:

1. ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज संख्या _____ दिनांकित _____ में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार अनुबंध स्वीकार कर लिया है, जो इस समझौते की अवधि के दौरान वैध/ लागू रहेगा।
2. ठेकेदार द्वारा समझौते की शर्तों का कोई भी उल्लंघन करने पर, सक्षम प्राधिकारी, लिखित में एक नोटिस जारी कर सकता है, और नुकसान निर्धारित कर पूर्ववर्ती उल्लंघनों के लिये दावा करने के एयूडी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस समझौते को खत्म कर कर सकता है, समझौते को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता से हुए नुकसान के उचित मुआवजे के लिये एयूडी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया लिखित प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा देय इस तरह के मुआवजे की राशि का निर्णायक सबूत होगा।

3. यह प्रमाण होने पर कि इस समझौते की अवधि समय अन्यथा वैधता के कारण खत्म की गई है, इस तरह के संकल्प की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज ठेकेदार को लौटा दी जाएगी, लेकिन इस समझौते के नियम और शर्तों के तहत सरकार को देय दंड / अन्य देय राशि की कटौती के बाद, यदि कोई हो, ही वापस की जाएगी।

4. यह समझौता अधिकृत प्रतिनिधियों के हाथों विधिवत हस्ताक्षर कर प्रारंभ होने की तारीख से 12 महीने की समाप्ति तक लागू रहेगा, लेकिन सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देने पर किसी भी समय ठेकेदार को प्रतिकारी के बिना अनुबंध रद्द कर सकते हैं।

5. सक्षम प्राधिकारी अनुबंध के संबंध में नोटिस दे सकता है। एयूडी द्वारा दिये जाने वाले भुगतान के बदले में ठेकेदार सेवा प्रदान करने और दोष के उपाय करने के लिये अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप काम करेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी सेवा प्रदान करने और दोष के उपाय करने के लिये, अनुबंध की कीमत या इस तरह की अन्य राशि अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ठेकेदार को दे सकता है।

7. यदि ठेकेदार नियंत्रण से परे परिस्थितियों के अधीन (अप्रत्याशित घटना) की हालत में अनुबंध निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है, उस मामले में सक्षम प्राधिकारी ठेकेदार को कारण नोटिस देने के बाद ठेकेदार के खतरे और राशि पर किसी अन्य संगठन से सेवाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, अभी तक नहीं आई सेवाओं के के मामले में भी, अनुबंध रद्द किए बिना।

8. उपरोक्त कार्रवाई के मामले में ठेकेदार ऐसे हर एक नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा, जो सक्षम प्राधिकारी/ एयूडी किसी अन्य संगठन से सेवाएं प्राप्त करने के बदले उठाता है। दंड राशि की वसूली एक क्रेडिट नोट के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर बिल राशि से की कटौती करके की जाएगी।

साक्षी में पार्टियों ने इस समझौते पर विधिवत हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधियों के हाथों से कर क्रियान्वित किया है, पूर्वोक्त लिखित दिन, महीने और साल पर।

साक्षी

हस्ताक्षर:

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

की ओर से हस्ताक्षर किए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता M/s

की ओर से हस्ताक्षर किए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता